राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3492/2025

कौशल्या चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बदरवास, झोटवाड़ा शहर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.07.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोविन्द शर्मा/सुल्तान सिंह कुड़ी, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बदरवास, झोटवाड़ा, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक–1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधी चौक, आमेर ग्रामीण, जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर अधिशेष कार्मिक नहीं है। अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष होना मानते हुए स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी की नियुक्ति विधवा महिला कोटे से अध्यापक लेवल–I के पद पर राजकीय प्रारम्भिक विद्यालय बिहारीपुरा अवधपुरा, में हुई थी तथा अपीलार्थी का अनुलग्नक–3 के द्वारा स्थाईकरण किया गया। अपीलार्थी के पदस्थापित ब्लॉक में ही पद रिक्त थे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी को पास के ही ब्लॉक में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, परंतु अपीलार्थी को दूसरे ब्लॉक में 50 कि.मी. दूर बिना किसी टी.ए./डी.ए. के स्थानांतरित किया गया है, जबकि अन्य कार्मिक जिन्हें अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरण किया गया था, को उसी ब्लॉक में पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण

हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया फिर भी राजैनितक द्वेषता एवं दवाब के कारण अपीलार्थी का स्थानान्तरण केवल मात्र अन्य कर्मचारी को व्यवस्थित करने हेतु अन्य ब्लॉक से अपीलार्थी के ब्लॉक में किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2025 एवं 16.07.2025 के संदर्भ में में पारित आदेश दिनांक 22.07.2025 को अपास्त फरमाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी का विद्यालय सेटअप परिवर्तन हो जाने के आधार पर अपीलार्थी को अधिशेष माना गया है। अपीलार्थी को अधिशेष माने जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को जयपुर जिले के झोटवाड़ा से झोटवाड़ा ब्लॉक में पदस्थापित किया गया है। नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। आलोच्य आदेश में हम किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाते है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य